

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी-कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या-155/2017

प्रार्थी
नरसीराम पुत्र रामदेव उम्र 28
जाति जाट निवासी रेण तहसील
मेड़ता जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, खण्ड नागौर तहसील नागौर व जिला नागौर

उपस्थित-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश सेन।
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री कुन्दनसिंह आवीणा।

आदेश

दिनांक: 21-5-2018

1- प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के कि.मी. 24/100 से कि.मी. 157/000 (अजमेर-नागौर खण्ड) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने 2 लाईन सहित पैव्ड शोल्डर को बनाना) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित अवार्ड दिनांक 23.07.2014 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छः(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम 1997 सपटित धारा 21 माध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2017 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मध्यस्थता दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया।

2-उभय पक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि-

2(1)- अप्रार्थीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के किमी 24/100 से किमी 157/100 किमी (अजमेर से नागौर सेक्शन) के दो लेन विड पेव्ड शोल्डर में परिवर्तित करने के लिए निजी/राजकीय भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार के राज पत्र असाधारण भाग 11 खण्ड 3 क.आ./1017 (अ) दिनांक 04.05.2012 के द्वारा अधिसूचना जारी की गई, जिसका दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 10.11.2012 व 11.11.2012 को प्रकाशन करवाकर हितधारियों व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पेशी 21 दिन के भीतर आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित की गई। जिसमें प्रार्थी की खरीद सुदा भूमि खसरा नम्बर 2744/44 मौजा रेण में बलराम नगर रेण में प्रार्थी की खरीद सुदा व रूपान्तरित सुदा भूखण्ड संख्या 27, 28 व 29 की भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की गई, जबकि विज्ञप्ति में खसरा नम्बर 44 का रकबा 0.588 हेक्टर भूमि अवाप्त करने की विज्ञप्ति जारी की गई थी। खसरा नम्बर 2744/44 के साबिका खसरा नम्बर 655 मिन है। अवाप्ति में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया व न ही प्रार्थी से किसी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित की गई व भूमि अवाप्ति की विज्ञप्ति में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होते हुए भी प्रार्थी की भूमि को अवाप्त करने का आदेश दिनांक 23.07.2014 को पारित करते हुए खसरा नम्बर 44 के संबंध में अवार्ड का निर्धारण करते हुए अवार्ड राशि 1,02,652/- रुपये का गलत रूप से

कलक्टर, नागौर



अवार्ड पारित कर दिया। तथाकथित रकम अवार्ड के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही मुआवजा निर्धारण के मूलभूत व स्वीकृत सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए अवाप्ति में ग्रसित भूमि के लैण्ड वैल्यू व मुआवजा के निर्धारण बाबत भूमि के संबंध में मुआवजा के सही निर्धारण नहीं किये जाने के कारण हस्तगत अवाप्ति की कार्यवाही के पुनः निर्धारण एवं हक अधिकारों के निस्तारण को मध्यस्थता द्वारा अवधारित करते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2(2)— प्रार्थी खसरा नम्बर 2744/44 मौजा रेण में आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्ड संख्या 27, 28 व 29 की काबिज मालिक है। जिस भूमि को अवाप्त कर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जिसकी सम्पूर्ण कार्यवाही अधिसूचना एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत की गई है, जो विधि विरुद्ध है।

2(3)— भूमि अवाप्ति अधिकारी अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जो कार्यवाही की गई है। वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और किसी भी स्तर पर अवाप्ति से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना की गई है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त कार्यवाही व निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रार्थी को नोटिस प्रेषित किया गया और गलत रूप से प्रभावित व्यक्तियों ने आपत्ति प्रस्तुत की है, का अंकन करते हुए केवल मात्र प्रावधानों की खानापूर्ति हो सके इसलिए अवार्ड कार्यवाही में सूचना दिये जाने का गलत तथ्य अंकित किया गया व उसके आधार पर दिनांक 23.07.2014 को आदेश पारित किया गया। जबकि विधिनुसार अवार्ड से पहले नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है जो कि आज्ञापक प्रावधान है, फिर भी आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना विधि के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है।

2(4)— अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया, उसमें न तो कोई व्यक्ति उनके समक्ष अपना पक्ष रख सका व न ही सबूत प्रस्तुत कर सका, ऐसी स्थिति में अवाप्ति अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रभावित व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये इकतरफा कार्यवाही करें। प्रभावित व्यक्ति अथवा जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है उसे आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए व तत्पश्चात् साक्ष्य सबूत का अवलोकन कर इस संबंध में उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए, जो नहीं किये जाने से आदेश अपास्त योग्य है।

2(5)— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 3छ(1)(2) के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण करने से पूर्व धारा 3छ(3) की पालना आवश्यक है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा मुआवजा निर्धारण आदेश प्रार्थी से बिना क्लेम आमंत्रित किये इकतरफा आदेश पारित किया गया है जिस कारण प्रार्थी अपना क्लेम निर्धारण से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर पाया और प्रार्थी उक्त कारण से अपने अधिकारों से वंचित रहा है, इसलिए भी आदेश अपास्त होने योग्य है।

2(6)— अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड का निर्धारण गलत रूप से किया है तथा डी.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त कर उसी के आधार पर अवार्ड पारित किया है, जबकि अवाप्ति की कार्यवाही में अवार्ड का निर्धारण विधि अनुसार भूमि के बाजार दर के आधार पर किया जाना आवश्यक है तथा डी.एल.सी. रेट केवल मात्र राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क की गणना हेतु ही मान्य है। डी.एल.सी. रेट के आधार पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में जो डी.एल.सी. रेट के आधार पर अवार्ड का निर्धारण किया है वह विधिक प्रावधानों के विपरीत है। भूमि अवाप्ति अधिकारी को अवाप्त की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य सबूत लेकर व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर बाजार मूल्य से संबंधित साक्ष्य प्राप्त कर बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाना व उसी आधार पर अवार्ड का निर्धारण किया जाना आवश्यक था। भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी डी.एल.सी. के आधार पर मुआवजा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, बल्कि बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना आवश्यक था फिर भी अवाप्ति अधिकारी ने विधिक प्रावधानों के विपरीत गलत अवार्ड पारित किया है।

क्र. 155/2017
नमो



2(7)— भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मनमाने ढंग से डी.एल.सी. दरों के अनुसार निर्धारण किया है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है। जिसका संपरिवर्तन आदेश दिनांक 13.07.2009 का पारित किया गया है, जो आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गई है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं थी बल्कि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि थी। जिसके लिये मुआवजा का निर्धारण आवासीय दरों के अनुसार किया जाना आवश्यक था। जिसके लिये दर डी.एल.सी. अनुसार 377/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से तथा भूमि मुख्य सड़क के पास स्थित होने के कारण एवं मुख्य सड़क से 100 मीटर के भीतर होने के कारण प्रचलित दर तीन गुणा निर्धारण किया जाना आवश्यक था, साथ ही उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की परिधि में स्थित है, ऐसी स्थिति में उक्तानुसार देय आवासीय दर से तीन गुणा राशि पर मुआवजा राशि तय की जानी आवश्यक थी, परन्तु भूमि के उपयोग व संपरिवर्तन आदेश के विपरीत जाकर गलत रूप से बाजार मूल्य पर निर्धारण नहीं कर विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 3 ने मनमाने तरीके से मुआवजा निर्धारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है।

2(8)— भूमि अवाप्ति अधिकारी ने आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक था। उक्त प्रकरण में भूमि अवाप्ति के संबंध में जारी विज्ञप्ति में प्रार्थी का नाम नहीं था, इसलिए प्रार्थी से किसी भी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई व न ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी के नाम से मुआवजा निर्धारण किये बिना व बिना मुआवजा स्वीकृत किये प्रार्थी की भूमि को अवाप्त कर लिया गया है जबकि विधिनुसार प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है साथ ही भूमि अवाप्त करने की स्थिति में भूमि के स्वामी के नाम से मुआवजा निर्धारण किया जाना आवश्यक है, जो नहीं किया गया है व सम्पूर्ण कार्यवाही ही विधि विरुद्ध तरीके से गलत रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।

2(9)— प्रार्थी की भूमि रूपान्तरित भूमि है, जिसका रूपान्तरण 2009 में हुआ है तथा प्रार्थी भूखण्ड संख्या 27, 28 व 29 दिनांक 09.04.2012 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद कर नामान्तरण संख्या 1430 दिनांक 22.07.2014 को करवाया गया है इस प्रकार से उक्त भूमि की स्वामी प्रार्थी है। जिसको समुचित सुनवाई का अवसर देकर तथा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होने के कारण आवासीय दरों के आधार पर व बाजार मूल्य के आधार पर एवं भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की परिधि में स्थित होने के कारण उक्त राशि पर विधिनुसार समुचित रूप से अवार्ड पारित कर प्रार्थी को अवार्ड दिलाये जाने का आदेश दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी के नाम से भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होने के कारण आवासीय दरों के अनुसार व भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की परिधि में होने के कारण आवासीय बाजार मूल्य के तीन गुणा के गणक के आधार पर युक्ती संगत मुआवजों का निर्धारण करते हुए प्रार्थी के नाम से अवार्ड आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

3(1)— राजपैराकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब में किये जबाब में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम रेण के खसरा संख्या-44 की 0.588 हेक्टर कृषि भूमि को अधिग्रहित करने हेतु विभाग द्वारा अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करवाई गई थी। वर्ष 2010 में अधिग्रहण के आशय की अधिसूचना प्रकाशन के पूर्व सर्वे कार्य करवाया गया था। तथा तत्समय ग्राम के राजस्व रेकार्ड के अनुसार भूस्वामी एवं भूमि की किस्म कृषि अधिसूचित किया गया था। प्रार्थी उस समय तक भूमि के किसी भाग का स्वामी नहीं था। भूमि अवाप्ति होना सुनिश्चित जानकर भूस्वामी मोतीलाल ने भूमि के मुआवजे को बढ़वाने हेतु आवासीय प्लॉट काट कर कई लोगों को बच दिया होगा। जो नियम विरुद्ध था। अतः भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार सही किया गया है।

कलक्टर, नागौर



3(2)— भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्णतः नियमों की पालना करके भारत सरकार सक्षम अधिकारी/मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करके की गई। समय-समय पर प्रभावित हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना/अखबार में प्रकाशन द्वारा संसूचित किया गया। आपत्तियों आमंत्रित करके व्यक्तिगत सुनवाई की गई तत्पश्चात ही भूमि का अधिग्रहण करके मुआवजा निर्धारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अनुचित नहीं है।

3(3)— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए), 3(डी) के तहत जारी अधिसूचनाओं पर सार्वजनिक आपत्तियों/व्यक्तिगत आपत्तियों आमंत्रित की जाकर समक्ष अधिकारी द्वारा उनका निस्तारण किया गया था। इसलिए प्रार्थी का आरोप सही नहीं है।

3(4)— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(छ)(3) की पालना की जा चुकी थी। प्रार्थी का कथन गलत है।

3(5)— भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि का बाजार मूल्य सभी कारकों पर विचार विमर्श करके निर्धारित किया गया था। जो डी.एल.सी. रेट के समकक्ष होने के कारण डी.एल.सी. दर से मुआवजा निर्धारित किया गया है, जो पूर्णतः विधि अनुरूप व ही है।

3(6)— अधिग्रहित भूमि की किस्म का निर्धारण तत्समय राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किस्म के अनुसार निर्धारित किया गया था। अधिग्रहण के आश्रय की अधिसूचना जारी होने तक भूमि के किस्म को परिवर्तित नहीं किया गया था। अतः मुआवजा निर्धारण सही किया गया है।

3(7)— प्रार्थी का आवासीय प्लॉट 2744/44 अधिग्रहित भूमि का भाग हो सकता है। राजस्व रेकार्ड में यह भूमि खसरा संख्या 44 श्री मोतीलाल/भीकाराम के नाम से वक्त अधिसूचना 3(ए) एवं 3(डी) दर्ज थी। इसी नाम से अधिग्रहण किया जाकर मुआवजा निर्धारण किया गया एवं भुगतान हेतु प्रस्तावित किया गया था। प्रार्थी का नाम अधिग्रहण के समय एवं बाद में मुआवजा निर्धारण तक रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से मुआवजे का हकदार नहीं होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने आवेदन पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया है।

4— वकूलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार—

4(1)— अजमेर-नागौर खण्ड के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 04.05.2012 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने धारा 3डी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित करते हुए अवाई दिनांक 23.07.2014 को जारी किया गया है। इस अवाई के तहत हस्तगत प्रकरण में ग्राम रेण के खसरा नम्बर 44 में से 0.588 हैक्टर भूमि बारानी-2 किस्म का अधिग्रहण किया गया, जिसका कुल मुआवजा 1,02,652/-रुपये हितबद्ध व्यक्ति मोतीलाल पुत्र भीकाराम जाति नायक सा0 देह खातेदार मेड़ता के पक्ष में निर्धारित किया गया।

4(2)— अवाई दिनांक 23.07.2014 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 04.05.2012 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में क्रमशः दिनांक 10.11.2012 व 11.11.2012 में प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां मांगी गई थी, जिसके तहत उक्त निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों के संबंध में दस्तावेज/सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुए आपत्तिकताओं की व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता सुनवाई की जाकर उक्त आपत्तियां उचित/ठोस आधारों पर नहीं होने से उन्हें अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 03.05.2013 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं सांध्य ज्योति दर्पण में दिनांक 27.07.2013 को प्रकाशन करवाया गया, परन्तु उक्त प्रकाशन के पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं

कलक्टर, नागौर



हुई। उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन के समय ग्राम खसरा नम्बर आदि का उल्लेख भी स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया था, इसलिए प्रार्थी का कथन की उसे उसकी भूमि अवाप्ति की जानकारी नहीं थी, प्रार्थी का यह कथन माने जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा तत्समय निर्धारित समयावधि में प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसी कोई दस्तावेजी एवं अन्य कोई ठोस साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार प्रार्थी को मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व सुनवाई व साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का वकील प्रार्थी का कथन ठोस आधार पर नहीं है।

4(3)— प्रार्थी भूखण्ड संख्या 27, 28 व 29 दिनांक 09.04.2012 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद कर नामान्तरण संख्या 1430 दिनांक 22.07.2014 को करवाया गया है इस प्रकार से उक्त भूमि की स्वामी प्रार्थी है। आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होने के कारण आवासीय दरों के आधार पर व बाजार मूल्य के आधार पर एवं भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की परिधि में स्थित होने के कारण आवासीय बाजार मूल्य के तीन गुणा के गणक के आधार पर युवती संगत मुआवजों का निर्धारण करते हुए प्रार्थी के नाम से अर्वाड आदेश पारित करने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है।

हस्तगत प्रकरण में ग्राम रेण के खसरा नम्बर 44 में से 0.588 हेक्टर भूमि बारानी-2 किस्म के अधिग्रहण के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित करते हुए हितवद्ध व्यक्ति मोतीलाल पुत्र भीकाराम जाति नायक सा0 देह खातेदार मेड़ता के पक्ष अर्वाड दिनांक 23.07.2014 पारित किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बेचाननामा प्लॉट नम्बर 27, 28 व 29 दिनांक 09.04.2012 की छाया प्रति के अनुसार प्रार्थी द्वारा श्री जंवरीराम पुत्र बीजाराम से ग्राम रेण के खसरा नम्बर 655 मिन रकबा 05 बीघा आवासीय रूपान्तरित भूमि में से प्लॉट नम्बर 27, 28 व 29 प्रार्थी द्वारा कय किये गये हैं। जबकि खसरा नम्बर 44 की अवाप्तशुदा भूमि का हितवद्ध व्यक्ति मोतीराम पुत्र भीकाराम नायक था। इसके अलावा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेश दिनांक 13.07.09, जमाबन्दी ग्राम रेण तहसील मेड़ता खतौनी संख्या नई 324 पुरानी 326 खसरा संख्या 2744/44 संवत् 2068 से 2071 एवं जमाबन्दी ग्राम रेण तहसील मेड़ता खतौनी संख्या नई 839 पुरानी 988 खसरा नम्बर 586 मिन संवत् 2052 से 2055 की छाया प्रतियों प्रस्तुत की हैं, परन्तु उक्त दस्तावेजात की प्रतियों से यह साबित नहीं होता है कि हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि का हितवद्ध व्यक्ति मोतीराम पुत्र भीकाराम नायक नहीं होकर, प्रार्थी है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भी हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि का हितवद्ध व्यक्ति मोतीराम पुत्र भीकाराम नहीं होकर प्रार्थी होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त अवाप्तशुदा भूमि के हितवद्ध व्यक्ति का निर्धारण किये जाने की नियमान्तर्गत इस न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अर्वाड मोतीराम पुत्र भीकाराम के पक्ष में पारित किया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा मोतीराम पुत्र भीखाराम जो की प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था, उसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए वकील प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5— उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक 23.07.2014 को पारित अर्वाड यथावत कायम रखा जाता है।

6— आदेश सुनाया।




(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर
नागौर